न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
139 / प्रा0पत्र / 2019	22.10.2019	20.10.2021

भीमराज आ0 मोती लाल जाति जाट निवासी जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

......प्रार्थी

बनाम

1. मुख्तार आ0 मोती लाल जाति जाट निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)

........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ताप्रार्थीः– श्री अनिल खेडिया
अधिवक्ता अप्रार्थीगणः– श्री नन्द सिंह

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 136 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये किः–

1. यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ख0सं0 82,84,183,339,381,565, किता–6 कुल रकबा 56.03 बीघा वाके ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है जिसकी वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम खातेदार की जगह पर भीमराज के स्थान पर बीरमा दर्ज हो रहा है। सहखातेदार मुख्तार को अप्रार्थी सं0 2 प्रार्थना पत्र में कोई आपत्ति हो इसके लिये अप्रार्थी बनाया गया है।
2. यह कि प्रार्थी के समस्त दस्तावेज में भीमराज आ0 मोती लाल दर्ज हो रहा है परन्तु राजस्थान रिकार्ड में बीरमा आ0 मोती लाल दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेज में भीमराज आ0 मोतीलाल दर्ज होने से भूमि के विकास कार्य लोन इत्यादी प्राप्त करने में अनेक समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है।
3. यह कि प्रार्थी का वास्तविक नाम भीमराज ही है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के स्थान पर भीमराज दर्ज कर इन्द्राज दुरुस्त किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।
4. यह कि अप्रार्थी सं0 2 ने उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त करने से साफ तौर पर इन्कार कर दिया तथा दिनांक 11.10.2019 को प्रार्थना पत्र में वर्णित इन्द्राज दुरुस्त करने से इन्कार कर दिया तथा प्रार्थना पत्र लेने से इन्कार कर दिया।
5. यह कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का वाद कारण 11.10.2019 को उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में भीमराज खातेदार के रूप में दर्ज करने से इन्कार कर दिया।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि जो वाके ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में विस्थित है कि जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर बीरमा आ0 मोती लाल के स्थान पर भीमराज आ0 मोती लाल दर्ज कर इन्द्राज दुरुस्त करने का आदेश तहसीलदार तालेड़ा को दिये जाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । जवाब पेरोकार सरकार ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी बीरमा आ0 मोती लाल को दूसरे नाम भीमराज पुत्र मोती लाल के नाम से भी जाना जाता है। उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

साक्ष्य में प्रार्थी की और नकल जमाबन्दी खाता सं0 253 ग्राम जमीतपुरा संवत् 2072–75, नकल नक्शा ट्रेस जमीतपुरा, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड छायाप्रति एवं स्वयं का शपथ पत्र की प्रति पेश की।

पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प स्थल जमीतपुरा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी खाता सं0 253 ग्राम जमीतपुरा संवत् 2072–75, में प्रार्थी बीरमा आ0 मोती लाल अन्य सहखातेदारान के साथ द्रर्ज रिकार्ड है, अन्य दस्तावेजात एवं तहसीलदार रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का शुद्ध नाम भीमराज आ0 मोतीलाल होना पाया जाता है। उक्त विवादित आराजीयात में प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि जमाबन्दी खाता सं0 253 ग्राम जमीतपुरा संवत् 2072–75 में प्रार्थी का नाम बीरमा हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम भीमराज उर्फ बीरमा आ0 मोतीलाल इन्द्राज दुरुस्त किया जावे। जमाबन्दी में शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बूंदी (राज0)

Scanned with CamScanner